रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 28 अक्टूबर, 2023 ई० (कार्तिक 06, 1945 शक संवत्) [संख्या 43

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	639–652	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1481–1496	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		975
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	123–138	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	615–622	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

वित्त विभाग

अनुभाग–2

औपबन्धिक / नियुक्ति

19 जुलाई, 2023 ई0

सं0 40 / 2023 / एस-2-774 / दस-2023-77 / 2022–सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2022 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री अमर श्रीवास्तव पुत्र श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, निवासी-262ए / 1-के, न्यू मेंहदौरी तेलियरगंज प्रयागराज को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी / लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

(1) श्री श्रीवास्तव आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं / प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे–

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति / पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इंण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

(2) निदेशक, कोषागार श्री श्रीवास्तव की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं श्री श्रीवास्तव को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

(3) उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक / विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(4) श्री श्रीवास्तव को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

(5) श्री श्रीवास्तव को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

(6) श्री श्रीवास्तव को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह ज्ञात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

(7) प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर श्री श्रीवास्तव को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए श्री श्रीवास्तव को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(8) प्रशिक्षण की अवधि में श्री श्रीवास्तव के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 41/2023/एस-2-775/दस-2023-77/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2022 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री विवेक कुमार पाण्डेय पुत्र श्री अनिल कुमार पाण्डेय ग्राम-नयन कटौली, पोस्ट-परसिया रानी, जनपद-गोण्डा, उ0प्र0 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

(1) श्री पाण्डेय आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इंण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

(2) निदेशक, कोषागार श्री पाण्डेय की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं श्री पाण्डेय को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

(3) उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(4) श्री पाण्डेय को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

(5) श्री पाण्डेय को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

(6) श्री पाण्डेय को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह ज्ञात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

(7) प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर श्री पाण्डेय को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए श्री पाण्डेय को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(8) प्रशिक्षण की अवधि में श्री पाण्डेय के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 42/2023/एस-2-776/दस-2023-77/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2022 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री रवि शंकर कुमार पुत्र श्री सुरेश प्रसाद सिंह निवासी-मौर्या मेडिकल हाल, पोस्ट-बरूहीं, ब्लाक-सहार, जनपद-भोजपुर, बिहार-802208 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

(1) श्री कुमार आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इंण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

(2) निदेशक, कोषागार श्री कुमार की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं श्री कुमार को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

(3) उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(4) श्री कुमार को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

(5) श्री कुमार को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

(6) श्री कुमार को प्रशिक्षण की समाति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह ज्ञात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

(7) प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर श्री कुमार को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए श्री कुमार को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(8) प्रशिक्षण की अवधि में श्री कुमार के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 43/2023/एस-2-777/दस-2023-77/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2022 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री किशन गुप्ता पुत्र श्री रामचन्द्र गुप्ता, निवासी-बलरामपुर, राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, उ0प्र0-224176 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

(1) श्री गुप्ता आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इंण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

(2) निदेशक, कोषागार श्री गुप्ता की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं श्री गुप्ता को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

(3) उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(4) श्री गुप्ता को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

(5) श्री गुप्ता को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

(6) श्री गुप्ता को प्रशिक्षण की समाति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह ज्ञात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

(7) प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर श्री गुप्ता को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए श्री गुप्ता को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(8) प्रशिक्षण की अवधि में श्री गुप्ता के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 44/2023/एस-2-778/दस-2023-77/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2022 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री घनश्याम सिंह पुत्र श्री शिव नारायण सिंह निवासी-बचेरा, महेबा, झांसी, उ0प्र0, पिन-284204 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

(1) श्री सिंह आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इंण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

(2) निदेशक, कोषागार श्री सिंह की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं श्री सिंह को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

(3) उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(4) श्री सिंह को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

(5) श्री सिंह को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

(6) श्री सिंह को प्रशिक्षण की समाति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह ज्ञात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

(7) प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर श्री सिंह को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए श्री सिंह को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(8) प्रशिक्षण की अवधि में श्री सिंह के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 45/2023/एस-2-779/दस-2023-77/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2022 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री वेद प्रकाश सिंह पुत्र श्री राम मिलन सिंह निवासी-109/194 जवाहर नगर, कानपुर नगर, उ0प्र0-298012 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

(1) श्री सिंह आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे–

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इंण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

(2) निदेशक, कोषागार श्री सिंह की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं श्री सिंह को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

(3) उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(4) श्री सिंह को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

(5) श्री सिंह को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

(6) श्री सिंह को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह ज्ञात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

(7) प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर श्री सिंह को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए श्री सिंह को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(8) प्रशिक्षण की अवधि में श्री सिंह के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 46/2023/एस-2-780/दस-2023-77/2022–सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2022 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत श्रीमती नमिता सिंह पुत्री श्री जगदीश प्रसाद निवासी-सी-73, सेक्टर-9, न्यू विजय नगर, गाजियाबाद, उ0प्र0-201009 को सम्यक्

विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5400/– (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

(1) श्रीमती सिंह आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगी–

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इंण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

(2) निदेशक, कोषागार श्रीमती सिंह की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं श्रीमती सिंह को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

(3) उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(4) श्रीमती सिंह को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

(5) श्रीमती सिंह को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

(6) श्रीमती सिंह को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह ज्ञात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

(7) प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर श्रीमती सिंह को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए श्रीमती सिंह को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(8) प्रशिक्षण की अवधि में श्रीमती सिंह के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 47/2023/एस-2-781/दस-2023-77/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2022 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत सुश्री उजाला सिंह पुत्री श्री मुकेश कुमार, मकान सं0-516, मो0 बारूजई प्रथम, निकट उस्मान बाग चौकी, शाहजहांपुर, उ0प्र0-242001 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5400/— (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

(1) सुश्री सिंह आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगी—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इंण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

(2) निदेशक, कोषागार सुश्री सिंह की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं सुश्री सिंह को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

(3) उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(4) सुश्री सिंह को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

(5) सुश्री सिंह को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

(6) सुश्री सिंह को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह ज्ञात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

(7) प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर सुश्री सिंह को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा

नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए सुश्री सिंह को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(8) प्रशिक्षण की अवधि में सुश्री सिंह के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 48/2023/एस-2-782/दस-2023-77/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2022 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री कुन्दन कुमार झा पुत्र श्री कमलेश कुमार झा, ग्राम-प्रसाद, पोस्ट-बंकी, थाना-मधेपुर, जिला-मधुबनी, बिहार-847408 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

(1) श्री झा आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इंण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

(2) निदेशक, कोषागार श्री झा की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं श्री झा को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

(3) उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(4) श्री झा को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

(5) श्री झा को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

(6) श्री झा को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह ज्ञात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

(7) प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर श्री झा को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए श्री झा को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(8) प्रशिक्षण की अवधि में श्री झा के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 49/2023/एस-2-783/दस-2023-77/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2022 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री प्रवीण कुमार वर्मा पुत्र श्री रघुराज प्रसाद वर्मा ग्राम-जमालुद्दीन पुर, पोस्ट-कैसरगंज, जनपद-बहराइच 271903 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

(1) श्री वर्मा आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगे—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इंण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

(2) निदेशक, कोषागार श्री वर्मा की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं श्री वर्मा को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

(3) उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(4) श्री वर्मा को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष

की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

(5) श्री वर्मा को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

(6) श्री वर्मा को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह ज्ञात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

(7) प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर श्री वर्मा को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए श्री वर्मा को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(8) प्रशिक्षण की अवधि में श्री वर्मा के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

सं0 50/2023/एस-2-784/दस-2023-77/2022—सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2022 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत सुश्री नेहा सिंह पुत्री श्री राजवीर सिंह 31 राम वाटिका कालोनी जनपद-बरेली, उत्तर प्रदेश 243005 को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

(1) सुश्री सिंह आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगी—

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पति/पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इंण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

(2) निदेशक, कोषागार सुश्री सिंह की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं सुश्री सिंह को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

(3) उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(4) सुश्री सिंह को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

(5) सुश्री सिंह को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

(6) सुश्री सिंह को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणों से यह ज्ञात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

(7) प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर सुश्री सिंह को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्ते उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए सुश्री सिंह को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(8) प्रशिक्षण की अवधि में सुश्री सिंह के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0–31 हिन्दी गजट–भाग 1–2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 28 अक्टूबर, 2023 ई० (कार्तिक 06, 1945 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

July 22, 2023

No. 1831/Admin.(Services)/2023–Sri Abhinav Jain, Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Raebareli to be Additional Chief Judicial Magistrate Raebareli *vice* Smt. Shilpe Rani.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Raebareli.

No. 1832/Admin.(Services)/2023–Smt. Shilpe Rani, Additional Chief Judicial Magistrate, Raebareli to be Civil Judge, Senior Division, Raebareli *vice* Sri Pankaj Kumar-I.

No. 1833/Admin.(Services)/2023–Sri Pankaj Kumar-I, Civil Judge, Senior Division, Raebareli to be Civil Judge, Senior Division, Rampur *vice* Sri Shobit Bansal.

No. 1834/Admin.(Services)/2023–Sri Shobit Bansal, Civil Judge, Senior Division, Rampur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Rampur *vice* Smt. Anchal Kasana.

He is also appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Rampur.

No. 1835/Admin.(Services)/2023–Smt. Anchal Kasana, Additional Chief Judicial Magistrate, Rampur to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Rampur.

July 24, 2023

No. 1836/Admin.(Services)/2023–Sri Pratham Kant, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Ballia for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Mahesh Chandra Verma.

No. 1837/Admin.(Services)/2023–Sri Mahesh Chandra Verma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ballia to be Additional District & Sessions Judge, Ballia.

No. 1838/Admin.(Services)/2023–Sri Rahul Dubey, Additional District & Sessions Judge, Ballia to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ballia.

He is also appointed U/s 12-A of U. P. Essential Commodities (Special Provisions) 1981, as Special Judge at Ballia against the special court created for trying cases under he said Act.

No. 1839/Admin.(Services)/2023–Sri Utkarsh Yadav, Additional District & Sessions Judge, Kaushambi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kaushambi in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 *vice* Smt. Poonam Singhal.

No. 1840/Admin.(Services)/2023–Smt. Poonam Singhal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kaushambi to be Additional District & Sessions Judge, Budaun.

No. 1841/Admin.(Services)/2023–Smt. Sushil Kumari, Additional District & Sessions Judge, Kaushambi to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Prayagraj (Allahabad) for trying cases of crime against women *vice* Sri Birendr Singh.

No. 1842/Admin.(Services)/2023–Sri Birendr Singh, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Prayagraj (Allahabad) to be Additional District & Sessions Judge, Prayagraj (Allahabad).

No. 1843/Admin.(Services)/2023–Smt. Neetu Yadav, Additional District *&* Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr.

No. 1844/Admin.(Services)/2023–Dr. (Smt.) Manu Kalia, Additional Principal Judge, Family Court, Bulandshahr to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr.

No. 1845/Admin.(Services)/2023–Sri Vijai Pal, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bulandshahr for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Suresh Kumar Sharma.

No. 1846/Admin.(Services)/2023–Sri Suresh Kumar Sharma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge Bulandshahr to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr.

No. 1847/Admin.(Services)/2023–Sri Yadavendra Singh-I, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Bulandshahr *vice* Smt. Sangeeta Sharma.

He is also appointed U/s 12-A of U.P Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Bulandshahr against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1848/Admin.(Services)/2023–Smt. Sangita Sharma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr.

No. 1849/Admin.(Services)/2023–Smt. Arti Fauzdar, Additional Principal Judge, Family Court, Ambedkar Nagar at Akbarpur to be Additional District & Sessions Judge, Chandausi, Sambhal at Chandausi.

No. 1850/Admin.(Services)/2023–Sri Tribhuwan Nath Paswan, Additional District & Sessions Judge, Sultanpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Sultanpur *vice* Sri Abhai Srivastav.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Sultanpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1851/Admin.(Services)/2023–Sri Abhai Srivastav, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sultanpur to be Additional District & Sessions Judge, Sultanpur.

No. 1852/Admin.(Services)/2023–Sri Navneet Kumar Giri, Additional District & Sessions Judge, Sultanpur to be Additional District & Sessions Judge, Firozabad.

No. 1853/Admin.(Services)/2023–Sri Ifraque Ahmad, Additional District & Sessions Judge, Firozabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Firozabad for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Smt. Deepa Rai.

No. 1854/Admin.(Services)/2023–Smt. Deepa Rai, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Firozabad to be Additional District & Sessions Judge, Firozabad.

No. 1855/Admin.(Services)/2023–Sri Mohd. Ghazali, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ghazipur for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Arvind Misra.

No. 1856/Admin.(Services)/2023–Sri Arvind Misra, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge, Ghazipur.

No. 1857/Admin. (Services)/2023–Sri Sanjay Kumar Yadav-I, Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ghazipur *vice* Sri Durgesh.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Ghazipur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1858/Admin. (Services)/2023–Sri Durgesh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge, Ghazipur.

No. 1859/Admin.(Services)/2023–Smt. Kanchan, Additional District & Sessions Judge, Gonda to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 1860/Admin. (Services)/2023–Smt. Deepali Singh, Additional Principal Judge, Family Court, Unnao to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 1861/Admin.(Services)/2023–Sri Akhileswar Prasad Mishra, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Mau.

No. 1862/Admin. (Services)/2023–Sri Alok Kumar Yadav, Special Judge, Anti-corruption (CBI), Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 1863/Admin. (Services)/2023–Sri Ashish Kumar Chaurasia, Additional Principal Judge, Family Court, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 1864/Admin.(Services)/2023–Sri Kamaluddin, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Etah to be Additional District & Sessions Judge, Etah.

No. 1865/Admin.(Services)/2023–Sri Himanshu Kumar Singh, Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ramabai Nagar (Kanpur Dehat) in the vacant court created under 14th Finance Commission.

No. 1866/Admin. (Services)/2023–Sri Sarad Kumar Tripathi, Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Jaunpur for trying cases of crime against women *vice* Sri Prashant Kumar-I.

No. 1867/Admin.(Services)/2023–Sri Prashant Kumar-I, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ramabai Nagar (Kanpur Dehat) for trying cases of crime against women *vice* Sri Ravi Yadav.

No. 1868/Admin. (Services)/2023–Sri Ravi Yadav, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ramabai Nagar (Kanpur Dehat) to be Additional District & Sessions Judge, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat).

No. 1869/Admin. (Services)/2023–Smt. Ragini, Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge, Sambhal at Chandausi for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant court.

No. 1870/Admin.(Services)/2023–Sri Himanshu Dayal Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Siddharth Nagar to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Siddharth Nagar for trying cases of crime against women *vice* Sri Kamesh Shukla.

No. 1871/Admin. (Services)/2023–Sri Kamesh Shukla, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Siddharth Nagar to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Siddharth Nagar in the court created under 14th Finance Commission *vice* Smt. Nisha Jha.

No. 1872/Admin. (Services)/2023–Smt. Nisha Jha, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Siddharth Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 1873/Admin.(Services)/2023–Sri Bhagirath Verma, Additional District & Sessions Judge, Hardoi to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 1874/Admin. (Services)/2023–Sri Abid Shamim, Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Sitapur *vice* Sri Shailendra Kumar Verma.

He is also appointed U/s 12-A of U.P Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Sitapur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1875/Admin.(Services)/2023–Sri Shailendra Kumar Verma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 1876/Admin. (Services)/2023–Dr. Shalini Singh-I, Additional District & Sessions Judge, Etawah to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 1877/Admin.(Services)/2023–Sri Ateeq Uddin, Additional District & Sessions Judge, Auraiya to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Auraiya for trying cases of crime against women *vice* Sri Sunil Kumar Singh-III.

No. 1878/Admin.(Services)/2023–Sri Sunil Kumar Singh-III, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Auraiya to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Auraiya in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sri Ravi Prakash Sahu.

No. 1879/Admin. (Services)/2023–Sri Ravi Prakash Sahu, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Auraiya to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Unnao in the court created under 14th Finance Commission *vice* Sri Jaiveer Singh Nagar.

No. 1880/Admin. (Services)/2023–Sri Jaiveer Singh Nagar, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Unnao to be Additional District & Sessions Judge, (Fast Track Court), Unnao for trying cases of crime against women *vice* Smt. Poonam-II.

No. 1881/Admin.(Services)/2023–Smt. Poonam-II, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Unnao to be Additional District & Sessions Judge, Unnao.

No. 1882/Admin. (Services)/2023–Smt. Shipra Arya, Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge, Unnao.

By order of the Hon'ble Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

17 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 205/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2023–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय हैं, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-7, बिजनौर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत पंवासा राजवाह एवं अल्पिकाओं के निर्माण हेतु जनपद-सम्भल की तहसील-सम्भल में 1.7748 हेक्टेयर भूमि तथा तहसील-चन्दौसी में 0.2702 हेक्टेयर भूमि जनपद में कुल 2.0450 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता हैं।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुंशसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक.....को अनुमोदित किया गया हैं।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 2(1) के अन्तर्गत सिंचाई विभाग पर सामाजिक समाघात लागू नहीं हैं।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना हैं इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् हैं–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर.....को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता हैं।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	रफीपुर	202	0.0144
,,	,,	,,	बहेटा जयसिंह	202	0.2044
				217	0.0466
				203	0.0048
				योग . .	**0.2558**
				कुल योग . .	**0.2702**

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	सम्भल	सम्भल	नसीरपुर	163	0.0720
				165	0.0020
				176	0.0024
				योग . .	**0.0764**
,,	,,	,,	ऐदलपुर	334	0.0024
				272-मि0	0.0108
				159	0.0780
				158	0.0468
				योग . .	**0.1380**
,,	,,	,,	मुजफ्फरपुर	186	0.0733
				159	0.1686
				423	0.0470
				332	0.0735
				406	0.2400
				402/1	0.1890
				400	0.0660
				399/1	0.0040
				योग . .	**0.8614**
,,	,,	,,	आढोल	73	0.0112
			अजीमाबाद	128	0.0960
,,	,,	,,		127	0.0416
				योग . .	**0.1376**
,,	,,	,,	नंन्दनपुर	185	0.0180
			चिरौलीभगबन्तपुर	586	0.2912
,,	,,	,,		587	0.0016
				योग . .	**0.2928**
,,	,,	,,	पंवासा	1719	0.0140
				1720	0.0070
				1986	0.0352

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	सम्भल	सम्भल	पंवासा	1220	0.0120
				1961	0.0024
				1738	0.0040
				1722	0.0120
				1725-मि0	0.0160
				1755	0.0600
				1958	0.0384
				1760	0.0010
				1142	0.0374
				योग . .	**0.2394**
				कुल योग . .	**2.0450**

6–अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल, कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियमि की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के .....(दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं।

8–अधिनियम की धारा-11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा वि विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता हैं।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता हैं।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT]

NOTIFICATION

October 17, 2023

No. 205/VIII-S.L.A.O./Notification/Moradabad/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the

Government of Uttar Pradesh/ Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 2.0450 hectares of land is required in the Villages-Rafipur, Bahita Jaysingh, Pargana, &Tehsil-Chandausi, District-Sambhal and Villages-Nasheerpur, Azimabad, Edalpur, Panwasa, Nandanpur, Muzaffarpur, Aadhol, Chiroli-Bhagwantpur Pargana & Tehsil-Sambhal, District- Sambhal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Div-7, Bijnor (name of acquiring body).

2. Social Impact Assessment Study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated…….

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessment is not applicable-

4. A total of ZERO families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:-

Deputy Collector/Assistant Collector…….. is appointed as administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Chandausi	Chandausi	Rafipur	202	0.0144
,,	,,	,,	Baheta-jaysingh	202	0.2044
				217	0.0466
				203	0.0048
				Total . .	**0.2558**
				Total . .	**0.2702**
,,	,,	,,	Nasheerpur	163	0.0720
				165	0.0020
				176	0.0024
				Total . .	**0.0764**
,,	,,	,,	Edalpur	334	0.0024
				272 mi	0.0108
				159	0.0780
				158	0.0468
				Total . .	**0.1380**

1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Muzaffarpur	186	0.0733
				159	0.1686
				423	0.0470
				332	0.0735
				406	0.2400
				402/1	0.1890
				400	0.0660
				399/1	0.0040
				Total . .	**0.8614**
,,	,,	,,	Aadhol	73	0.0112
			Azimabad	128	0.0960
,,	,,	,,		127	0.0416
				Total . .	**0.1376**
,,	,,	,,	Nandanpur	185	0.0180
,,	,,	,,	Chiroli	586	0.2912
			Bhagwantpur	587	0.0016
				Total . .	**0.2928**
			Panwasa	1719	0.0140
				1720	0.0070
				1986	0.0352
				1220	0.0120
				1961	0.0024
				1738	0.0040
				1722	0.0120
				1725 mi	0.0160
				1755	0.0600
				1958	0.0384
				1760	0.0010
				1142	0.0374
				Total . .	0.2394
				Grand Total . .	2.0450

6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig the sub soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such time as the proceeding is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE-A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLIGIBILE,
District Magistrate,
Sambhal.

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप-18

नियम-20 का उपनियम (2)

[अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

अधिसूचना

17 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 206/आठ-वि0भू0अ0अ0/सम्भल–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय हैं, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-7, बिजनौर के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत पंवासा राजवाह एवं अल्पिकाओं के निर्माण हेतु जनपद-सम्भल की तहसील-सम्भल के ग्राम बबैना एवं लहरकमंगर में 0.8136 हेक्टे0 भूमि तथा तहसील-चन्दौसी के ग्राम लहरावन, सैदपुर, जैरोई हयातनगर, रायपुर कला, ढाढौल, मंझौला, बिसारू व भरतरा में 1.2456 हेक्टेयर भूमि जनपद में कुल 2.0592 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता हैं।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुंशसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक....................को अनुमोदित किया गया हैं।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 2(1) के अन्तर्गत सिंचाई विभाग पर सामाजिक समाघात लागू नहीं हैं।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना हैं इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् हैः–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर.................................को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता हैं।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

तहसील–चन्दौसी

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	लहरावन	164 मि0	0.2400
				481	0.0228
				509	0.0017
				129	0.0106
				523	0.0396
				योग . .	**0.3147**
सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	सैदपुर	337	0.0560
				275	0.0018
				341	0.0018
				514	0.0126
				योग . .	**0.0722**
सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	जैरोई हयातनगर	55	0.0072
				116/1	0.0160
				115/1	0.1322
				114	0.0650
				56	0.0058
				57	0.0132
				90	0.0060
				120	0.0095
				योग . .	**0.2549**
सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	रायपुर कंला	261	0.0440
				105 मि0	0.1052
				252 मि0	0.0600
				259 मि0	0.0169
				योग . .	**0.2261**
सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	ढाढौल	20	0.0110
				6	0.0070
				4	0.0400
				172	0.0080
				147	0.0012
				योग . .	**0.0672**

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	मंझौला	498	0.0017
				501 मि0	0.0105
				49	0.0053
				योग . .	**0.0175**
सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	बिसारू	14	0.0097
				66	0.0057
				योग . .	**0.0154**
सम्भल	चन्दौसी	चन्दौसी	भरतरा	587	0.1064
				631	0.0616
				77/2	0.0672
				78 मि0	0.0424
				योग . .	**0.2776**
		तहसील-सम्भल			
सम्भल	सम्भल	सम्भल	बबैना	14	0.0327
				482	0.0173
				135	0.0148
				83 मि0	0.1600
				133 मि0	0.1584
				84	0.0096
				293	0.0050
				86	0.0300
				योग . .	**0.4278**
सम्भल	सम्भल	सम्भल	लहरा कंमगर	1227	0.0704
				1230	0.0182
				1229	0.0208
				1083	0.0360
				1029	0.1152
				786	0.0256
				1223	0.0100
				1226	0.0480
				360	0.0416
				योग . .	**0.3858**
				तहसील चन्दौसी का कुल योग . .	**1.2456**
				तहसील सम्भल का कुल योग . .	**0.8136**
				महा योग . .	**2.0592**

6–अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत निर्दिश्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल, कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती हैं।

7–अधिनियमि की धारा–15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के .....(दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं।

8–अधिनियम की धारा–11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता हैं।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता हैं।

मनीष बंसल,
जिलाधिकारी,
सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-18

[Sub-rule (2) of rule 20]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11 OF THE ACT]

NOTIFICATION

October 17, 2023

No. 206/VIII-S.L.A.O./Notification/Sambhal/2023–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/ Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 2.0595 hectares of land is required in the Villages-Lehrawan, Saidpur, Jaroi-Hayatnagar, Raipur Kala, Dhadhol, Manjhola, Bisaru, Bhartara, Pargana & Tehsil-Sambhal, District-Sambhal and Villages-Babaina, Lehra-Kamangar is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Div-7, Bijnor (name of acquiring body).

2. Social Impact Assessment Study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated…….

3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessment is not applicable-

4. A total of ZERO families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under:-

Deputy Collector/Assistant Collector…….. is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Chandausi	Chandausi	Lehrawan	164 mi	0.2400
				481	0.0228
				509	0.0017
				129	0.0106
				523	0.0396
				Total . .	**0.3147**
Sambhal	Chandausi	Chandausi	Saidpur	337	0.0560
				275	0.0018
				341	0.0018
				514	0.0126
				Total . .	**0.0722**
Sambhal	Sambhal	Chandausi	Jaroi-Hayatnagar	55	0.0072
				116/1	0.0160
				115/1	0.1322
				114	0.0650
				56	0.0058
				57	0.0132
				90	0.0060
				120	0.0095
				Total . .	**0.2549**
Sambhal	Sambhal	Chandausi	Raipur Kala	261	0.0440
				105 mi	0.1052
				252 mi	0.0600
				259 mi	0.0169
				Total . .	**0.2261**
Sambhal	Sambhal	Chandausi	Dhadhol	20	0.0110
				6	0.0070
				4	0.0400
				172	0.0080
				147	0.0012
				Total . .	**0.0672**

1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Sambhal	Chandausi	Manjhola	498	0.0017
				501 mi	0.0105
				49	0.0053
				Total . .	**0.0175**
Sambhal	Sambhal	Chandausi	Bisaru	14	0.0097
				66	0.0057
				Total . .	**0.0154**
Sambhal	Sambhal	Chandausi	Bhartara	587	0.1064
				631	0.0616
				77/2	0.0672
				78 mi	0.0424
				Total . .	**0.2776**
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Babaina	14	0.0327
				482	0.0173
				135	0.0148
				83 mi	0.1600
				133 mi	0.1584
				84	0.0096
				293	0.0050
				86	0.0300
				Total . .	**0.4278**
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Lehra-Kamangar	1227	0.0704
				1230	0.0182
				1229	0.0208
				1083	0.0360
				1029	0.1152
				786	0.0256
				1223	0.0100
				1226	0.0480
				360	0.0416
				Total . .	**0.3858**
				Total of Tehsil Chandausi . .	**1.2456**
				Total of Tehsil Sambhal . .	**0.8136**
				Grand Total . .	**2.0592**

6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to entre upon and survey of land, take levels of any land, dig the sub soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e*. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such time as the proceeding is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE-A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd*.) ILLIGIBILE,
District Magistrate,
Sambhal.

पी0एस0यू0पी0–31 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 28 अक्टूबर, 2023 ई० (कार्तिक 06, 1945 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 10 मई, 2023 ई0 / वैशाख 20, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/आगरा/2022/सी0ई0एम0एस0-III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 94-बाह विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 की घोषणा अधिसूचना नं0-28/61-2022 दिनांक 14 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 94-बाह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 12 व 13 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0-287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री नरेश जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 94-बाह से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिर्पोटो के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री नरेश को कारण बताओ नोटिस सं0-76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री नरेश को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा द्वारा अपने दिनांक 23 जनवरी, 2023 के पत्र-संख्या-2506/नि0का0 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के पत्र संख्या-2655/नि0का0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री नरेश ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नरेश निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन-वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 94-बाह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री नरेश निवासी-ग्राम व पोस्ट-नौगवां, बाह, आगरा को इस आदेश की तारीख से तीन-वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated $\frac{10^{th}\ May,\ 2023}{20^{th}\ Vaishakha,\ 1945\ (Saka)}$

ORDER

No. 76/UP-LA/Agra/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 94-Bah Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced *vide* Notification No. 28/61-2022 dated 14th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 94-Bah Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 12th & 13th April, 2022 submitted by the District Election Officer, Agra, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Naresh, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 94-Bah Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Agra, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 19th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Naresh for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 19th December, 2022, Shri Naresh was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 23th December, 2022, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Agra, *vide* its letter no. 2506/नि0का0; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Agra in his Supplementary Report, *vide* its letter 2655/नि0का0 dated 17th March, 2023 has reported that Shri Naresh has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Naresh has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Naresh resident of Vill and Post-Naugawan, Bah, Agra a contesting candidate from 94-Bah Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 10 मई, 2023 ई0 / वैशाख 20, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/आगरा/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 88-आगरा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 की घोषणा अधिसूचना नं0-28/61-2022 दिनांक 14 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 88-आगरा दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 12 व 13 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार मो0 कामिल जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 88-आगरा दक्षिण से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिर्पोटो के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए मो0 कामिल को कारण बताओ नोटिस सं0-76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए मो0 कामिल को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा द्वारा अपने दिनांक 23 जनवरी, 2023 के पत्र-संख्या 2506/नि0का0 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी से फोन पर बात करने के बाद घर पर दिनांक 02 जनवरी, 2023 को चस्पा किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आगरा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के पत्र-संख्या-2655/नि0का0 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मो0 कामिल ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि मो0 कामिल निर्वाचन खर्चो का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 88-आगरा दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी मो0 कामिल निवासी 35/235सी, दरगाह अबुल उल्लाह, न्यू आगरा, आगरा को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated $\frac{10^{th}\ May,\ 2023}{20^{th}\ Vaishakha,\ 1945\ (Saka)}$

ORDER

No. 76/UP-LA/Agra/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 88-Agra South Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced *vide* Notification No. 28/61-2022 dated 14th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 88-Agra South Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 12th & 13th April, 2022 submitted by the District Election Officer, Agra, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Mohd Kamil, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 88-Agra South Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Agra, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 19th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Mohd Kamil for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 19th December, 2022, Mohd Kamil was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was pasted after confirming on phone at the address given by the candidate on 02nd January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Agra, *vide* its letter no. 2506/नि0का0; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Agra in his Supplementary Report, *vide* its letter 2655/नि0का0 dated 17th March, 2023 has reported that Mohd Kamil has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Mohd Kamil has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Mohd Kamil resident of 35/235 C, Dargah Abul Ulah, New Agra, Agra a contesting candidate from 88-Agra South Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 10 मई, 2023 ई0 / वैशाख 20, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/गाज़ियाबाद/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 54-मुरादनगर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 की घोषणा अधिसूचना नं0-28/61-2022 दिनांक 14 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 54-मुरादनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 12 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र-सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिर्पोट के अनुसार श्री अय्यूव खां जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 54-मुरादनगर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिर्पोटो के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 89 के उप-नियम (5)

के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अय्यूव खां को कारण बताओ नोटिस सं0-76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अय्यूव खां को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, गाज़ियाबाद द्वारा अपने दिनांक 01 जनवरी, 2023 के पत्र-संख्या 101/29-वि0स0नि0-22/व्यय लेखा के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी के पुत्र श्री सुहेल खान द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 को चस्पा किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गाज़ियाबाद द्वारा दिनांक 03 अप्रैल, 2023 के पत्र-संख्या 214/29-वि0स0नि0-22/व्यय लेखा के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अय्यूव खां ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अय्यूव खां निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन के अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन-वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 54-मुरादनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अय्यूव खां निवासी 864, आदर्श कॉलोनी, ब्रज विहार, मुरादनगर, गाज़ियाबाद को इस आदेश की तारीख से तीन-वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated $\frac{10^{th}\ May,\ 2023}{20^{th}\ Vaishakha,\ 1945\ (Saka)}$

ORDER

No. 76/UP-LA/Ghaziabad/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 54-Muradnagar Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced *vide* Notification No. 28/61-2022 dated 14th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 54-Muradnagar Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dated 12th April, 2022 submitted by the District Election Officer, Ghaziabad, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Ayyuv Khan, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 54-Muradnagar Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Ghaziabad, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 20th October, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Ayyuv Khan for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 20th October, 2022, Shri Ayyuv Khan was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by Shri Suhel Khan the candidate on 22th December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the Assistant District Election Officer, Ghaziabad, *vide* its letter no. 101 / 29-वि0स0नि0-22 / व्यय लेखा; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Ghaziabad in his Supplementary Report, *vide* its letter 214 / 29-वि0स0नि0-22 / व्यय लेखा dated 03rd April, 2023 has reported that Shri Ayyuv Khan has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Ayyuv Khan has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Ayyuv Khan resident of 864, Adarsh Colony, Braj Vihar, Muradnagar, Ghaziabad a contesting candidate from 54-Muradnagar Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 10 मई, 2023 ई0 / वैशाख 20, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/बिजनौर/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 23-चान्दपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 की घोषणा अधिसूचना नं0-48/61-2022 दिनांक 21 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 23-चान्दपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिजनौर, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र-सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिर्पोट के अनुसार श्री उदय त्यागी जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 23-चान्दपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिर्पोटो के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री उदय त्यागी को कारण बताओ नोटिस सं0-76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री उदय त्यागी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, बिजनौर द्वारा अपने दिनांक 24 नवम्बर, 2022 के पत्र-संख्या 1374/29-62(निर्वाचन व्यय लेखा नोटिस)/2022 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिजनौर द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2023 के पत्र संख्या 295/29-62(निर्वाचन व्यय लेखा नोटिस)/2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिर्पोट में यह बताया गया है कि श्री उदय त्यागी ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री उदय त्यागी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 23-चान्दपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री उदय त्यागी निवासी ग्राम व पोस्ट-सिसौना तहसील-चान्दपुर, जनपद बिजनौर-246725 को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *10th May, 2023* / *20th Vaishakha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Bijnor/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 23-Chandpur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced *vide* Notification No. 48/61-2022 dated 21st January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 23-Chandpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Bijnor, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Uday Tyagi, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 23-Chandpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Bijnor, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 20th October, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Uday Tyagi for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 20th October, 2022, Shri Uday Tyagi was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 20th November, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the Deputy District Election Officer, Bijnor, *vide* its letter no. 1374/29-62(निर्वाचन व्यय लेखा नोटिस)/2022; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Bijnor in his Supplementary Report, *vide* its letter 295/29-62(निर्वाचन व्यय लेखा नोटिस)/2022 dated 11th April, 2023 has reported that Shri Uday Tyagi has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Uday Tyagi has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Uday Tyagi resident of Village & Post-Sisauna, Tehsil-Chandpur, District-Bijnor-246725 a contesting candidate from 23-Chandpur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 10 मई, 2023 ई0 / वैशाख 20, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/बिजनौर/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 23-चान्दपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 की घोषणा अधिसूचना नं0-48/61-2022 दिनांक 21 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 23-चान्दपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिजनौर, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र-सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री यासिर अराफत जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 23-चान्दपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिर्पोटो के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 89 के उप-नियम (5)

के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री यासिर अराफत को कारण बताओ नोटिस सं0-76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री यासिर अराफत को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, बिजनौर द्वारा अपने दिनांक 24 नवम्बर, 2022 के पत्र-संख्या 1374/29-62(निर्वाचन व्यय लेखा नोटिस)/2022 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 02 नवम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिजनौर द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2023 के पत्र संख्या 295/29-62(निर्वाचन व्यय लेखा नोटिस)/2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री यासिर अराफत ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री यासिर अराफत निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन-वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 23-चान्दपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री यासिर अराफत निवासी-मोहल्ला शेखान, शेरकोट, तहसील-धामपुर, जनपद-बिजनौर-246747 को इस आदेश की तारीख से तीन-वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *10th May, 2023* / *20th Vaishakha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Bijnor/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 23-Chandpur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced *vide* Notification No. 48/61-2022 dated 21st January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 23-Chandpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Bijnor, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Yasir Arafat, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 23-Chandpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Bijnor, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 20th October, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Yasir Arafat for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 20th October, 2022, Shri Yasir Arafat was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 02nd November, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the Deputy District Election Officer, Bijnor, *vide* its letter no. 1374/29-62(निर्वाचन व्यय लेखा नोटिस)/2022; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Bijnor in his Supplementary Report, *vide* its letter 295/29-62(निर्वाचन व्यय लेखा नोटिस)/2022 dated 11th April, 2023 has reported that Shri Yasir Arafat has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Yasir Arafat has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Yasir Arafat resident of Mohalla Shekhan Sherkot, Tehsil-Dhampur, Dist-Bijnor-246747 a contesting candidate from 23-Chandpur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0–31 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–660 निर्वाचन–28.10.2023–125 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 28 अक्टूबर, 2023 ई० (कार्तिक 06, 1945 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत, सुकरौली, जनपद कुशीनगर

भवन निर्माण उपविधि 2023

अधिसूचना

16 अक्टूबर, 2023 ई0

सं0 370/न0पं0सु0/2023-24–नगर पंचायत सुकरौली, जनपद–कुशीनगर द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 की सूची-1(क) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत सुकरौली, जनपद-कुशीनगर सीमान्तर्गत भवन निर्माण, पुननिर्माण या परिवर्तन को विनियमित एवं नियन्त्रित करने के उद्देश्य से उपविधि 2021 तैयार कर प्रतिस्थापित की गयी है। जिसको अध्यक्ष नगर पंचायत, सुकरौली ने अपने आदेश दिनांक 29 अगस्त, 2023 द्वारा स्वीकृति प्रदान की है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत आम नागरिकों से सुझाव/आपत्ति/संशोधन कराये जाने हेतु निम्न दैनिक समाचार-पत्र, हिन्दुस्तान दिनांक 01 सितम्बर, 2023 तथा दैनिक जागरण दिनांक 02 सितम्बर, 2023 को प्रकाशित किया गया था। उक्त नियामवली 'भवन निर्माण उपविधि 2023' के सम्बन्ध में जिस किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति न आने के उपरान्त निम्नवत् उपविधि प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

परिभाषायें

1–संक्षिप्त नाम–यह नियमावली नगर पंचायत सुकरौली, जनपद-कुशीनगर 'भवन निर्माण उपविधि 2023' कहलायेगी।

2–प्रसार–इस उपविधि का प्रसार नगर पंचायत सुकरौली, जनपद-कुशीनगर की सम्पूर्ण सीमा (समय-समय पर शासन द्वारा यथा संशोधित) में होगी।

3–प्रभाव–यह नियमावली शासकीय गजट में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होगी।

4–नगर पंचायत सुकरौली का तात्पर्य नगर पंचायत, सुकरौली कुशीनगर से हैं।

5–अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत, सुकरौली के अध्यक्ष से हैं।

6–अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत, सुकरौली में कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है।

7–नगरपालिका अधिनियम, 1916 से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधित अधिनियम से है।

8–''बेसमेन्ट'' का ताप्तर्य भू-तल के नीचे या अंशत भू-तल के नीचे के निर्माण से है।

9–''स्टिल्ट फ्लोर'' का तात्पर्य प्लिन्थ से खम्भों (पिलर्स) पर बनी हुई संरचना जो न्यूनतम दो तरफ से खुली हो, फर्श से बीम तक अधिकतम ऊँचाई 7 फुट हो एवं पार्किंग के प्रयोजनार्थ अभिप्रेत होने से हैं।

10–''आच्छादित क्षेत्रफल'' का तात्पर्य कुर्सी तल के ऊपर आच्छादित तल क्षेत्र से है, जिसके ऊपर भवन निर्माण हो। निम्नलिखित संरचनाएं आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत शामिल नहीं होगी :–

(क) बाग, राकरी, कुआं एवं कुए से सम्बन्धित कोई संरचना, प्लान्ट नर्सरी, वाटरपूल, अनाच्छादित स्वीमिंग पूल, पेड़ के चारों प्लेटफार्म, टैंक, फाउन्टेन, बैंच, खुला चबूतरा।

(ख) ड्रेनेज कल्वर्ट, कैच-पिट, गलीपिट, चैम्बर, गटर, आदि।

(ग) चहारदीवारी, प्रवेश द्वार, मंजिल रहित पोर्च एवं पोर्टिको, कैनोपी, स्लाइड, झूला, अनाच्छादित सीढ़ी, अनाच्छादित रैम्प, आदि।

(घ) वाचमैन बूथ, पम्प-हाउस, गारबेज शाफ्ट, विद्युत् केबिन एवं विभिन्न सेवाओं सें सम्बन्धित ऐसे अन्य 'यूटीलिटीज स्ट्रक्चरर्स'।

11–''तल क्षेत्रफल'' (फ्लोर एरिया) का तात्पर्य भवन के किसी तल पर आच्छादित क्षेत्रफल से हैं।

12–''तल क्षेत्रफल अनुपात'' (एफ0ए0आर0) का तात्पर्य किसी भू-खण्ड के कुल क्षेत्रफल से भवन के कुल तल क्षेत्रफल को विभाजित करने से प्राप्त भागफल से हैं।

13–''निवास योग्य कमरें'' का तात्पर्य अधिभोग के लिए अध्यासित अथवा अभिकल्पित कमरे से है, चाहे यह अध्ययन, रहने, शयन, खाने हेतु हो, किन्तु इसमें रसोईघर, स्नानगृह, शौचालय, बर्तन साफ करने व रखने की जगह और स्टोर रूम, कारीडोर, बेसमेन्ट, बरसाती (अटिक) तथा अन्य स्थान जो प्रायः रहने हेतु प्रयुक्त नहीं किये जाते हैं, सम्मिलित नहीं होंगे।

14–''आवासीय भवन'' के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होगें, जिसमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो इसमें 'एक' अथवा 'एक से अधिक' आवासीय इकाई शामिल हैं।

15–''व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन'' के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाप, जो व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों, सम्मिलित होगें।

16–''व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन'' के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाय, जो व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों, सम्मिलित होगें।

17–''कुर्सी'' (प्लिन्थ) से तात्पर्य किसी संरचना के उस भाग से है, जो चारों ओर की भूमि की सतह से ठीक ऊपर हो तथा भू-तल के फर्श तक हों।

18–''कुर्सी का क्षेत्रफल'' से तात्पर्य वह निर्मित क्षेत्रफल से है, जो बेसमेन्ट, भू-तल अथवा किसी मंजिल के फर्श तल पर नापा जाये।

19–''सैट-बैक लाइन'' का तात्पर्य भू-खण्ड की सीमाओं के समानान्तर रेखा में है, जो भवन निर्माण उपविधि में निर्दिष्ट की गई हो और जिसके बाहर भू- खण्ड की सीमाओं की ओर कोई निर्माण करना अनुमन्य न हो।

20–''भू-खण्ड'' का तात्पर्य भूमि के उस भाग से है, जो चारों ओर निश्चित सीमाओं से घिरा हों।

21–''कोने का भू-खण्ड'' का तात्पर्य उस भू-खण्ड से है, जो दो या अधिक परस्पर काटने/मिलने वाली सड़कों पर स्थित हों।

22–''मंजिल'' का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हो, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हों।

23–''सड़क'' (स्ट्रीट) का तात्पर्य स्ट्रीट, गली, लेन, पाथ-वे, संकरी गली (ऐले), रास्ते (पैसेज), कैरियर-वे, पगडण्डी (फुट-वे), स्क्वायर, खुले पुल, चाहे वह सार्वजनिक मार्ग हों या न हो, या जिसके ऊपर जनसाधारण को विकास कार्य के पूरा होने के बाद बिना किसी रोक-टोक के चलने, गुजरने का या आने-जाने का अधिकार हों, चाहे वह किसी योजना में विद्यमान हो या प्रस्तावित हो। उसमें सब प्रकार के बन्धे, स्टार्म वाटर ड्रेन, वर्षा जल के नाले, पुलिया, साइड वाल, ट्रैफिक आइलैण्ड, रिटेनिंग वाल, बैरियर एवं रेलिंग, जो 'राइट-आफ-वे' के भीतर हों शामिल होगें।

24–''सड़क की चौड़ाई'' का तात्पर्य सड़क की कुल चौड़ाई अथवा 'राइट-आफ-वे' से हैं।

25–''बरामदा'' से तात्पर्य ऐसे आच्छादित क्षेत्रफल से है, जिसमें कम से कम एक पार्श्व बाहर की ओर खुला हो एवं ऊपर के तलों में खुले पार्श्व की ओर अधिकतम एक मीटर ऊंचाई तक के पैरापिट का प्रविधान हो।

26–'भवन की ऊॅचाई' से तात्पर्य आस-पास की भूमि के औसत सतह से भवन के अन्तिम तल के टेरिस से तक की ऊॅचाई से हैं।

आवेदन-पत्र यथास्थिति निम्नलिखित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ जमा किया जायेगा–

27–मानचित्रों के चार सेट नियत शुल्क अदा करने की रसीद सहित जमा किये जायेगें।

28–जमा किये जाने वाले मानचित्रों में 'की प्लान', 'साइट-प्लान', 'तलपट मानचित्र' और 'सर्विसेज प्लान' भी शामिल होगें।

29–समस्त मानचित्र अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा तैयार किये जायेगें और उनके द्वारा नाम, अनुज्ञप्ति संख्या दर्शाते हुए हस्ताक्षर किये जायेगें इसके अतिरिक्त भू-भवन स्वामी के हस्ताक्षर भी होगें।

30–नगर पंचायत, सुकरौली के लाइसेंस प्राप्त ड्राफ्टमैन को भवन मानचित्र प्रस्तुत करने की अनुमति 3000 वर्ग फुट तक होगी। 3000 वर्ग फुट से अधिक की भूमि पर मानचित्र प्रस्तुत करने की अनुमति कॉउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर से प्राप्त लाइसेंस आर्किटेक्ट को होगी।

31–भवन के प्लान और एलीवेशन तथा सेक्शन 1:100 से कम पैमाने पर नहीं होंगे, और उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शायें जायेगें।

(क) समस्त तलों के तल मानचित्र सहित आच्छादित क्षेत्रफल, कमरों के आकार, जीने, रैम्प (लिफ्ट सहित)।

भवन के प्रत्येक भाग का उपयोग या अधिभोग–

1–मूलभूत सेवाओं के वास्तविक स्थान शौचालय, सिंक, बाथ, जल-प्रदाय, जल-निकास तथा मल-निस्तारण हेतु सोक पिट/सैप्टिक टैंक अथवा सीवर लाइन से कनेक्शन।

2–जल प्रवाहित शौचालय की व्यवस्था।

सूचनायें एवं दस्तावेज

1–पंजीकृत बैनामा की छाया प्रति।

2–इन्तखाब।

3–आधार कार्ड की छाया प्रति।

4–आवेदक /आवेदिका की एक फोटो।

5–रु0 10/– का ई-स्टाम्प पेपर।

6–शमन मानचित्र हेतु निर्मित भवन का फोटोग्राफ।

नियम एवं शर्तें

1–रु0 100/– प्रति आवासीय भवन पर मानचित्र दाखिला शुल्क लिया जायेगा।

2–रु0 200/– प्रति व्यावसायिक भवन पर मानचित्र दाखिला शुल्क लिया जायेगा।

3–रु0 2/– प्रति वर्ग फुट शुल्क आवासीय भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा।

4–रु0 4/– प्रति वर्ग फुट शुल्क व्यावसायिक भवन में आच्छादित पर लिया जायेगा।

नोट–मानचित स्वीकृत होने के उपरांत आवेदक/आवेदिका को तीन वर्ष के भीतर भवन का निर्माण कर लेना होगा अथवा मानचित्र की अवधि समाप्त हो जाने पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगीं।

सेट-बैक

आवासीय/व्यवसायिक भवन–भू-खण्डीय विकास के अन्तर्गत आवासीय/व्यवसायिक भवनों में अधिकतम तीन मंजिल निर्माण अनुमन्य होगा जिसकी अधिकतम ऊँचाई स्टिल्ट के साथ 41 फुट तथा स्टिल्ट के बिना 34 फुट होगी एवं सैट-बैक निम्नवत् होगें–

भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग फुट)	सैट-बैक (फुट)	
	अग्र-भाग	पृष्ठ-भाग
1500 तक	3	––
1501 से अधिक 3000 तक	5	3
3001 से अधिक 5000 तक	10	5

- कोने के भू-खण्ड में सैट बैक सम्बन्धित भू-खण्ड के फ्रन्ट सैट-बैक के समान होगा।
- भवनों में प्रकाश एवं संवातन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- **सेट बैक में छुट**–खुले स्थान में छत/छज्जे का निर्माण किया जा सकता है, जो खुले स्थान की चौड़ाई के आधे से अधिक तथा अधिकतम 3 फुट होगा, परन्तु उक्त छत/छज्जे किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- 3000 से अधिक प्रस्तावित व्यवसायिक भवन हेतु स्थानीय मुख्य शमन अधिकारी से अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 1500 से अधिक 3000 तक के भवनों में पृष्ठ सेट-बैक के 40 प्रतिशत भाग पर निर्माण अनुमन्य होगा।
- 5000 से अधिक तथा निम्न (संस्थागत/सामुदायिक, शिक्षण संस्थान, औद्योगिक भवन, कार्यालय भवनों, भण्डारण भवनों, होटल, थोक व्यवसायिक भवनों, चिकित्सा भवनों, सेवा-उद्योग आदि) के मानचित्र की स्वीकृति कुशीनगर विषेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण के भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार प्राधिकरण के अनुमति उपरांत दी जायेगी।
- उक्त आराजी पर भवन निर्माण से पुरातत्व विभाग के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होगा। आराजी पुरातात्वित क्षेत्र की परिधि से लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित होगी। पुरातात्वित क्षेत्र की परिधि 300 मीटर

के भीतर के भूमि/भवनों को मानत्रित स्वीकृति कराने हेतु स्थानीय पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

अन्य आन्तरिक संरचनायें

जीना–

- आवासीय भवनों में आन्तरिक जीने की पैड़ी की चौड़ाई न्यूनतम **10''** होगी। तथा अन्य भवनों में पैड़ी की चौड़ाई न्यूनतम **12''** होगी।
- आवासीय भवनों में एक उठान में अधिकतम 12 राइजर तक होगें तथा अन्य भवनों में उनकी संख्या 15 तक हो सकेगी।

चहारदीवारी–

- सामने की कम्पाउण्ड दीवार की अधिकतम ऊंचाई 8 फुट होगी, जिसका न्यूनतम 3 फुट ऊपरी भाग जाली/ग्रिलयुक्त होगा।
- पीछे की तथा पार्श्व की कम्पाउण्ड दीवारों की अधिकतम ऊंचाई 8 फुट होगी।
- कोने के भू-खण्ड में सड़क की तरफ की कम्पाउण्ड दीवार की ऊंचाई 6 फुट से अधिक नही होगी।
- उक्त उपबन्ध सैनेटोरियम, कारखाना, कार्यालय, संस्थागत भवनों पर लागू नहीं होगें।

भू-गेह (बेसमेन्ट)–

- बेसमेन्ट को रिहायसी उपयोग में नहीं लाया जायेगा तथा बेसमेन्ट में शौचालय या रसोई घर का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- आन्तरिक खुले स्थल (कोर्टयार्ड) तथा शाफ्ट के नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा।
- बेसमेंट का निर्माण बगल की संपत्तियों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित करते हुए भू-खण्ड की सभी सीमाओं से न्यूनतम 6 फुट छोड़ने के बाद ही अनुमन्य होगा।

बेसमेन्ट का प्रयोजन निम्नानुसार होगा।

(क) घरेलू सामान, अज्वलनशील पद्धार्थ या अन्य सामान का भण्डारण।

(ख) आवासीय भवन से भिन्न भवनों में डार्करूम, कोष कक्ष, बैंक सेलर आदि।

(ग) वातानुकूलन उपकरण एवं अन्य मशीने जो भवन की अनिवार्य सुरक्षा के लिए लगाई जायें।

(घ) पार्किंग स्थल और गैराज।

(च) पुस्तकालयों के अज्वलनशील भण्डार कक्ष (स्टैकिंग रूम)।

- बेसमेन्ट का प्रत्येक भाग, फर्श से बीम तक न्यूनतम 7 फुट तथा अधिकतम 15 फुट ऊॅचा होगा।
- बेसमेन्ट में पर्याप्त संवातन सुनिश्चित किया जायेगा।
- बेसमेन्ट की सीलिंग संलग्न रोड लेवल से न्यूनतम 3 फुट तथा अधिकतम 4 फुट ऊपर होगी।
- सतह का पानी बेसमेन्ट में प्रवेश न करने पाये इस हेतु व्यवस्था करनी होगी।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अपेक्षायें

- जलरोध की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 3000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भू-खण्डों तथा सभी योजनाओं में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भूमिगत अथवा भूमि के ऊपर संग्रहण हेतु आवश्यक प्राविधान किया जायेगा।

सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र हेतु अपेक्षायें

निम्न प्रकृति के किसी भी प्रस्तावित भवन निर्माण में पानी गर्म करने हेतु सोलर वाटर हीटर संयन्त्र की स्थापना की अपेक्षाओं के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी–

- अस्पताल तथा नर्सिंग होम।
- होटल ।
- अतिथि गृह।
- विश्राम गृह
- छात्रावास।
- महाविद्यालय/प्राविधिक संस्थायें/प्रशिक्षण केन्द्र।
- सशस्त्र बल/अर्द्ध-सैनिक बल एवं पुलिस बल के बैरक।
- सामुदायिक केन्द्र, बैंक्वेट हाल, बारातघर तथा इसी प्रकार के अन्य भवन।
- 5000 वर्ग फुट एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवन।

शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु अपेक्षायें

समस्त जनोपयोगी भवनों तथा सार्वजनिक सुविधा स्थलों पर शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं, सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु अवरोधमुक्त परिसर के सृजन के लिए प्राविधान सुनिश्चित किये जायेगें।

भू-कम्प रोधी निर्माण हेतु अपेक्षायें

- भूतल सहित 3 मंजिल से अधिक अथवा 41 फुट से अधिक ऊँचाई के भवन तथा 5000 वर्ग फुट से अधिक भू-आच्छादन के सभी अवस्थापना सुविधाओं (यथा वाटर वर्क्स एवं ओवर हैंड टैंक, टेलीफोन एक्सचेंज, ब्रिज एवं कल्वर्ट, विधुत उत्पादन केन्द्र एवं विधुत टावर, अस्पताल छविगृह, ऑडीटोरियम, सभा भवन, शैक्षिक संस्थायें, बस टर्मिनल आदि) पर भू-कम्परोधी निर्माण सम्बन्धी अपेक्षायें लागू होगी।
- भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति कराने के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हस्ताक्षर युक्त भवन की नीव एवं सुपरस्ट्रक्चर डिजाइन की पूर्ण गणनायें एवं स्ट्रक्चरल मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत किये जायेगें। साथ ही भवन निर्माण हेतु नियत प्राधिकारी को जो मानचित्र प्रेषित किये जायेगें, उन सभी मानचित्रों पर भू-स्वामी, पंजीकृति आर्किटेक्ट के साथ-साथ स्ट्रक्चरल डिजाइन करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर तथा सर्विस डिजाइन तैयार करने वाले सर्विस इन्जीनियर के पूरे नाम तथा मुहरयुक्त हस्ताक्षर से भू-कम्परोधी डिजाइन होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

अपराधों का शमन उपविधि

- मानचित्र में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अवैध निर्माण दर्शाये जायेगें 'फ्रन्ट', 'साइड' एवं पीछे के सटे बैक में अनधिकृत निर्माण शमनीय होगा।
- शमन शुल्क अवैध निर्माण के लिए निर्धारित शुल्क द्वारा लिया जायेगा।
- रु0 10/–प्रति वर्ग फुट शमन शुल्क आवासीय भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा।
- रु0 15/– प्रति वर्ग फुट शमन शुल्क व्यावसायिक भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा।

दण्ड

यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि का उल्लंघन करता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ह0) अस्पष्ट,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत,
सुकरौली, कुशीनगर।

सूचना

साधना तिवारी व नीलू त्रिपाठी एक ही महिला के नाम है, त्रुटिवश मेरे पति के एसबीआई म्यूचुअल फण्ड फोलियो नम्बर-28400547 में नामिनी में साधना तिवारी (घर का नाम) अंकित है, सही व सभी दस्तावेजों में नाम नीलू त्रिपाठी है। भविष्य में मुझे नीलू त्रिपाठी पत्नी स्व0 सर्वेश तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

नीलू,
वार्ड नं0 14, जी0टी0 रोड,
खागा, फतेहपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम-शिव प्रकाश पुत्र रघुवंशमणि है जो जन्म प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-415670370862 में मेरा नाम संतोष कुमार दुबे अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिव प्रकाश पुत्र रघुवंशमणि के नाम से जाना व पहचाना जाय। शिव प्रकाश पुत्र रघुवंशमणि, ग्राम धनावल, पो0-सोनबरसा थाना-माण्डा, तह0 कोरॉव, जिला प्रयागराज (उ0प्र0) पिन नं0 212104 ।

शिव प्रकाश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जय माता दी ट्रांसपोर्ट, भोपाबाजार चौरी-चौरा, जिला-गोरखपुर, उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 01 मार्च, 2005 से श्री रमाकान्त जायसवाल, श्री अमित जायसवाल, श्री महताब आलम व मजीद अली एवं श्री सुजीत जी साझेदार थे। उक्त फर्म कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स, गोरखपुर में पंजीकरण सं0-जी-1870 पर पंजीकृत है। उक्त फर्म में साझेदार डीड दिनांक 14 सितम्बर, 2023 से श्री महताब आलम व मजीद अली एवं श्री सुजीत जी उक्त फर्म से रिटायर्ड/अलग हो गये है तथा श्रीमती सीमा जायसवाल पत्नी श्री अमित जायसवाल उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुई है यह कि अब उक्त फर्म में क्रमशः श्री रमाकान्त जायसवाल व श्री अमित जायसवाल एवं श्रीमती सीमा जायसवाल जी है। किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

रमाकान्त जायसवाल/साझेदार।

सूचना

सर्व साधारण सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स उदय कान्सट्रक्सन, ग्राम व पो0 सुकरौली, जनपद-बस्ती उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 10 अगस्त, 2010 से श्री उदय राज एवं श्री रामकेवल यादव जी साझेदार थे, यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण सं0 G-4256 पर पंजीकृत है। यह कि उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 20 सितम्बर, 2023 से श्री उदय राज जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा लेकर रिटायर्ड हो गये है तथा साझेदारी डीड दिनांक 20 सितम्बर, 2023 से श्रीमती उर्मिला यादव पत्नी श्री राम केवल यादव जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुई है उक्त फर्म में क्रमशः श्री रामकेवल यादव एवं श्रीमती उर्मिला यादव जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नही है।

रामकेवल यादव/साझेदार,
मेसर्स उदय कान्सट्रक्सन,
ग्राम व पो0 सुकरौली,
जनपद बस्ती।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स राकेश गृह उद्योग प्लाट सं0 जी-20 औद्योगिक क्षेत्र गोरखनाथ, जिला-गोरखपुर, उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 20 सितम्बर, 2014 से श्री राकेश मिरपूरी, श्री देवानन्द मिरपुरी, श्री वासुदेव मिरपुरी व श्रीमती शालू मिरपुरी एवं श्रीमती गुन मिरपुरी जी साझेदार थे। यह कि उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण सं0 G-4139 पर पंजीकृत है। यह कि उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 26 सितम्बर, 2023 से श्री राकेश मिरपुरी, श्री देवानन्द मिरपुरी, व श्रीमती शालू मिरपुरी एवं श्रीमती गुन मिरपुरी जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा लेकर रिटायर्ड हो गये है तथा साझेदारी डीड दिनांक 26 सितम्बर, 2023 से श्रीमती गीता मिरपुरी पत्नी श्री वासुदेव मिरपुरी जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुई है उक्त फर्म में क्रमशः श्री वासुदेव मिरपुरी एवं श्रीमती

गीता मिरपुरी जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नही है।

श्री वासुदेव मिरपुरी
साझेदार,
मेसर्स राकेश गृह उद्योग,
प्लाट सं0 जी-20 औद्योगिक क्षेत्र,
गोरखनाथ, जिला-गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स- ''सेन्सज लाइफ स्टाईल'', पताः– प्लाट नं0-1938, इन्डस्ट्रियल एरिया पेपर मील चौराहा, महलकपुर रोड, अगवानपुर, जिला मुरादाबाद (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 28 जून, 2021 को गरिश मोहन बंसल पुत्र स्व0 लक्ष्मीचंद, निवासी शांति नगर, सिविल लाइन्स, जिला-मुरादाबाद का देहान्त हो गया है तथा अब वर्तमान में तीन पार्टनर श्री इरेश बंसल, श्री राजीव मोहन बंसल व श्रीमती काजल बंसल रह गये है।

इरेश बंसल,
साझेदार,
फर्म, मेसर्स ''सेन्सज लाइफ स्टाईल'',
पताः–प्लाट नं0-1938, इन्डस्ट्रियल एरिया
पेपर मील चौराहा, महलकपुर रोड,
अगवानपुर, जिला-मुरादाबाद (यू0पी0)।

पी0एस0यू0पी0–31 हिन्दी गजट–भाग 8–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।